<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या **33/2023**</u>

राकेश कुमार शर्मा ..... आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री विकास कुमार गुगलानी, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी, ए. जी. ए. राज्य की संक्षिप्त धारक श्रीमती ममता जोशी के साथ।

माननीय रविन्द्र मैठाणी**, न्यायाधीश (मौखिक)**

आवेदक-राकेश कुमार शर्मा ने आईपीसी की धारा 306 पुलिस स्टेशन खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के तहत, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05 /2023 में अग्रिम जमानत मांगी है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया। आवेदक के लिए विद्वान वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा उपस्थित हुए।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-आरोपी अमन शर्मा ने शादी से झांसा देकर मृतिका प्रियंका कश्यप के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस संबंध में धारा 376, 323 एवं 504 आईपीसी के तहत प्राथमिकी संख्या 88/2021 दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप पत्र समर्पित किया गया है।मौजूदा मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है कि स्टे मिलने के बाद, सह-अभियुक्त अमन शर्मा ने मृतक को कई मौकों पर धमकी दी, जिसके कारण 07.01.2023 को मृतक ने आत्महत्या कर ली और उसने अपना वीडियो भी छोड़ दिया।

4. आवेदक के विद्वान वकील का कहना था कि आवेदक सह-अभियुक्त अमन शर्मा का पिता है। कथित वीडियो में उनका नाम नहीं है।

5. विद्वान राज्य वकील का कहना है कि , निर्देशों के अनुसार, आवेदक का नाम वीडियो में नहीं है।उन्होंने कहा कि राज्य अब अलग से कोई आपत्ति दर्ज करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

6. सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए।

7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जाँच अधिकारी ("आई. ओ".) की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो प्रतिभूतियों के साथ ₹20,000/- की राशि के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत मिल जाएगी । इसके अलावा, आवेदक निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगाः

(i) आवेदक जाँच में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा।

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी ("आई. ओ".) के पास जमा करेगा। पासपोर्ट मात्र संबंधित अदालत के आदेश से ही वापस किया जा सकता है। यदि आवेदक के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वह आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देगा।

(v) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर एक वचन पत्र भी देगा।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)
अवकाश न्यायाधीश
20.01.2023